न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 28/2023 **दायर दिनांकः 25.08.2023**

उनवान

1. मृतक रामकरण पुत्र गोपीलाल उर्फ गोप्या जाति जाट

1/1 उर्मिला चौधरी पत्नी स्व0 रामकरण जाति जाट निवासी खडीला तहसील अटरू जिला बारां राज0।

1/2 आशीष चौधरी पुत्र स्व0 रामकरण जाति जाट निवासी खडीला

1/3 टीना चौधरी आयु 34 वर्ष पत्नी नरेन्द्र पुत्री स्व0 रामकरण जाट निवासी खडीला हाल टुंडा बानपुर

1/4 अर्पिता चौधरी पुत्री स्व0 रामकरण जाति जाट निवासी खडीला तहसील अटरू

1/5 वर्षा चौधरी पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी चिराग चौधरी जाति जाट निवासी खडीला तहसील अटरू हाल मुकाम बिजोरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 30.06.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खडीला तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का ख0नं0 115 की 0.48 है0, ख0नं0 18 की 0.75 है0, ख0नं0 294 की 5.34 है0 कुल किता 3 की 6.57 है0 भूमि प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/6 दर्ज खाता है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में प्रहलाद पुत्र गोप्या सहवन से दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम

रामकरण पुत्र गोपीलाल उर्फ गोप्या हैं प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र गोपीलाल उर्फ गोप्या ही दर्ज है। जिसके आधार पर प्रार्थी अपना नाम जमाबन्दी में दुरूस्त करवाने हेतु दिनांक 03.08.2023 को अप्रार्थी के पास गया और अप्रार्थी से दस्तावेजात के आधार पर जमाबन्दी में नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने नाम दुरूस्त करने से इंकार करते हुए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इस वजह से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति कारण प्रार्थी को जमाबन्दी में अपना नाम खाते में गलत दर्ज होने की जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 03.08.2025 को अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजात के आधार पर अप्रार्थी के पास नाम दुरूस्त करवाने जाने पर अप्रार्थी द्वारा नाम दुरूस्त करने के इंकार करने व माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत देने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। त्रूटिपूर्ण जमाबन्दी ग्राम व माल खडीला तहसील अटरू जिला बारां की होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्यय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी ग्राम व माल खडीला की खाता संख्या 43 की भूमि में प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र गोप्या के स्थान पर दुरूस्त करते हुए रामकरण पुत्र गोपीलाल उर्फ गोप्या दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/41 दिनांक 07.01.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 आशीष चौधरी पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी खडीला, Pw2 नाथूलाल पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी खडीला हाल खाल्दी व Pw3 उर्मिला देवी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी खडीला हाल निवासी रानीबडौद के शपथ पत्र पेश किए गए तथा उनके सशपथ बयान लेखबद्व किए गए। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खडीला पटवार हल्का खुरी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 43 (प्रदर्श–P1), मतदाता पहचान पत्र रामकरण (प्रदर्श–P2), आधार कार्ड रामकरण जाट (प्रदर्श–P3), स्थानान्तरण प्रमाण पत्र रामकरण जाट (प्रदर्श–P4), पेन कार्ड रामकरण (प्रदर्श–P5), मृत्यु प्रमाण पत्र रामकरण (प्रदर्श–P8), आधार कार्ड आशीष चौधरी (प्रदर्श–P6), आधार कार्ड उर्मिला देवी (प्रदर्श–P7), प्रशासक ग्राम पंचायत खुरी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खडीला पटवार हल्का खुरी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 43 (प्रदर्श–P1) में सहखातेदार नाथुलाल पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी खडीला हाल निवासी खाल्दी ने प्रहलाद का नाम रामकरण होना स्वीकार किया है तथा अन्य कोई सहखातेदार के शपथ पत्र पेश नही किये गये है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल खडीला तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का ख0न0 115 का रकबा 0.48 है0, ख0न0 18 का रकबा 0.75 है0 व ख0न0 294 का रकबा 5.34 है0 कुल किता 3 का रकबा 6.57 है0 भूमि में सहखातेदार प्रहलाद पुत्र गोप्या के स्थान पर प्रहलाद पुत्र गोपीलाल उर्फ गोप्या किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल खडीला तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का ख0न0 115 का रकबा 0.48 है0, ख0न0 18 का रकबा 0.75 है0 व ख0न0 294 का रकबा 5.34 है0 कुल किता 3 का रकबा 6.57 है0 भूमि में सहखातेदार प्रहलाद पुत्र गोप्या के स्थान पर प्रहलाद पुत्र गोपीलाल उर्फ गोप्या दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां